


Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
ताराचन्द भादू पुत्र पूर्णराम भादू जाति जाट साकिन किशनपुरा तहसील सूरतगढ
बनाम

इन्द्राज नाथ पुत्र रतुनाथ जाति नाथ साकिन वार्ड नं. 8 मीणा पेट्रोल पम्प के पास, सूरतगढ आदि
किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी
प्रकरण संख्या- 12/2026 जीसीएमएस न. 2026/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हए
18.02.2026	<p>वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी के तहत इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 72/2020 सीगा अपील अनवान ताराचन्द भादू बनाम इन्द्राज नाथ में पारित आदेश दिनांक 29.12.2025 जिसके द्वारा अपील अपीलांट अदम पैरवी में खारिज की गई, को निरस्त करते हुए मूल अपील को पुनः दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई करने हेतु निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।</p> <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा मूल अपील संख्या 72/2020 अनवान ताराचन्द भादू बनाम इन्द्राज नाथ को पुनः नये नम्बर पर दर्ज किया जाकर दिनांक 29.12.2025 से पूर्व की स्थिति से पुनः प्रारम्भ किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं हैं। अतः पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


(दीनानाथ बखल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)

